न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–46/2022

GCMS No.- 2022/58

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरिकिशन पुत्र जगदीश जाति माली निवासी बड़ली तहसील व जिला नागौर, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 34, नागौर तहसील व जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय दिनांक–06-07-2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा के विभागीय प्रकरण संख्या 42/20 राजस्थान सरकार बनाम हरिकिशन आदेश दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते कथन किया कि अपीलांट को उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 34 नागौर शहर तहसील नागौर हेतु विधिवत् प्राधिकार पत्र संख्या 860/06 जारी किया हुवा था और अपीलांट डीलर द्वारा पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्राप्त राशन सामग्री को वितरण किया जाता रहा तथा किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही थी। किन्तु दिनांक 06.04.2020 को सुश्री दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर आकर अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार कर एक शिकायत जिला रसद अधिकारी नागौर को दी। जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपीलांट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं. 42/20 दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही करते दिनांक 08.01.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुवे प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित कर दिये। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट निम्न आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत की है।
2(1)–आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व पत्रावली पत्र उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त/ संशोधित किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरंदाज करते हुऐ आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लघंन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लघंन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

2(2)–अपीलांट के विरूद्ध किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है। प्रवर्तन निरीक्षक महोदय ने दौराने जांच जिन गवाहान के बयान लिये, उन्होंने भी अपीलांट के विरूद्ध कोई कथन नहीं किए है। फिर भी प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलांट के विरूद्ध गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर जांच प्रतिवेदन पेश किया और उस जांच प्रतिवेदन पर विश्वास करते हुवे रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है जो आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–अधि. न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर जांच के समय नहीं दिया, न ही अपीलांट के पक्ष को सुना व समझा गया। आदेश जैर अपील में भी अधि. न्यायालय ने केवल मात्र अपीलांट का उपस्थित नहीं होने को आधार मानकर आदेश पारित किया है जबकि उन्हें अपीलांट के विरूद्ध जो भी तथ्य थे, उसके संबंध में पूर्ण जांच करते हुवे यदि प्राधिकार पत्र की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होना मानते तो उस आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता था, किन्तु ऐसे कोई तथ्य आदेश जैर अपील में अंकित नहीं किया गये है। इस कारण भी आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)–जांच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा अपीलांट हरिकिशन के विरूद्ध दिनांक 09.04.2020 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नागौर के समक्ष पेश की गई। जो प्रकरण धारा 409, 420 आईपीसी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। किन्तु उक्त प्रकरण में उक्त सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदम वकू में प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रकरण को सही नहीं माना व सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसको साबित नहीं माना। इससे भी स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिल्कुल ही झूठी जांच रिपोर्ट तैयार की गई एवं उक्त झूठी जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की ऐसी कोई शिकायत नहीं थी जिससे अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमों का उल्लंधन किया जाना साबित हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों व निबंधनों की पालना करते हुऐ विधिनुसार कार्य किया जा रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2(6)–अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद अनियमितता व गबन करने व किसी प्रकार का अवैध कृत्य करने का आरोप कतई प्रमाणित नहीं हुआ है, सारी कार्यवाही मनमर्जी से एकतरफा में की गई है। अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, जिससे भी अपीलांट से इस संबंध में शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाक्याति त्रुटि की है।

2(7)–अपीलांट बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन पेश भी हुवा है हालांकि वह सही नहीं है फिर भी उस बाबत जवाबदेही, साक्ष्य सबूत स्पष्टीकरण का व अपनी ओर से स्वतंत्र उपभोक्ताओं के शपथ पत्र आदि पेश करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया जाकर एकतरफा कार्यवाही करते हुऐ इस तरह का कठोरतम आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट की सुनवाई करने के पश्चात् यदि कोई छोटी बड़ी लापरवाही उसकी बीमारी की हालत में हुई भी हो तो अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डरटेंकिग/शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था यही विधि की मंशा है। मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारों पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में अधिनस्थ रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है। जिससे

कलक्टर, नागौर

भी आदेश जैर अपील संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी। उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुऐ अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जिससे भी आदेश जैर अपील हस्तक्षेप योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 42/2020 राजस्थान सरकार बनाम हरिकिशन में पारित आदेश जैर अपील दिनांक 08.01.2021 को अपास्त/संशोधित/निरस्त किया जावें व अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल करने का निवेदन किया है।

3. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि खाद्य विभाग के पत्रांक–एफ–17()खा. वि./कोरोना वायरस/2020 दिनांक 04.04.2020 के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पत्रांक–रसद/2020/588–594 दिनांक 05.04.20 के द्वारा प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकगण को अपने अधिनरथ क्षेत्र के सूची में दर्शाये गये जिन राशन डीलर द्वारा अबेयेन्स राशनकार्डों को राशन वितरित करना बताया गया है, उन में से रेण्डम आधार पर 30 प्रतिशत लाभार्थियों से सम्पर्क स्थापित कर यह जॉच करने के निर्देश दिये गये कि वास्तव में उनके द्वारा राशन लिया गया है या नहीं ? उक्त संबंध में सुश्री दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान का दिनांक 06.04.2020 को निरीक्षण किया गया मौका फर्द, 6 उपभोक्ताओं के बयान, ऑनलाईन ट्रान्जेशन की सूची प्रस्तुत। उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 42/2020 सरकार बनाम हरिकिशन उ.मू.दू. दर्ज कर अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितओं के संबंध अपीलान्ट को निम्नानुसार आक्षेपों का कारण बताओ नोटिस क्रमांक–रसद/अभि./2020/516 दिनांक 08.04.2020 जारी किया गया– 1. अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना नहीं पाया गया। 2. वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया। 3. अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नं0 17675 से अबेयेन्स श्रेणी के 43 राशनकार्डों का ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया। रेण्डमली सत्यापन करने पर पाया कि मात्र 7 उपभोक्ताओं को वास्तव में राशन मिला अन्य 36 उपभोक्ताओं (अबेयेन्स श्रेणी) को किये गये ऑनलाईन ट्राजेक्शन का कोई रिकार्ड एवं जानकारी अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट ने 36उपभोक्ताओं को राशन वितरित नहीं कर खुर्द–बुर्द/गबन किया। विभागीय प्रकरण की अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.05.20 के अनुसार अपीलान्ट से तामीलसुदा नोटिस प्राप्त हो गया परन्तु अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा दिनांक 08.01.2021 को निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट राशन डीलर श्री हरिकिशन को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त की जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

3(1)–आक्षेप संख्या–1. अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना नहीं पाया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में न तो जिला रसद अधिकारी नागौर के न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के खण्डन में किसी प्रकार का जबाब, साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत किये है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया गया है जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.04.2020 को पुलिस थाना नागौर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई जो प्रकरण धारा 409, 420 आईपीसी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदम वकू में प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रकरण को सही नहीं माना व सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसको साबित नहीं माना है। उक्त संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा पुलिस उप अधीक्षक वृत नागौर को दिनांक 30.12.2020 को प्रेषित किया गया है जिस पर एफआर 214/31.12.20 अदम वकु (तथ्य की भूल) अंकित किया हुआ है। न्यायालय में प्रस्तुत एफ.आर. की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा यह मान भी लिया जावे कि पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत की

कलक्टर, नागौर

गई है अथवा नहीं इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि उक्त आक्षेप जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.04.2020 से स्पष्ट साबित है। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं पाया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर अंकित है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आक्षेप पूर्णतया स्पष्ट रूप से साबित होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)–आक्षेप संख्या–2 वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया। यह सही है कि सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो जॉच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है, जो भूल से जॉच रिपोर्ट में अंकित होने से रह गया था।

3(3)–आक्षेप संख्या–3 अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नं0 17675 से अबेयेन्स श्रेणी के 43 राशनकार्डों का ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया। रेण्डमली सत्यापन करने पर पाया कि मात्र 7 उपभोक्ताओं को वास्तव में राशन मिला अन्य 36 उपभोक्ताओं (अबेयेन्स श्रेणी) को किये गये ऑनलाईन ट्राजेक्शन का कोई रिकार्ड एवं जानकारी अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट ने 36 उपभोक्ताओं को राशन वितरित नहीं कर खुर्द–बुर्द/गबन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में न तो जिला रसद अधिकारी नागौर के न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के खण्डन में किसी प्रकार का जबाब, साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत किये है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया है कि दिनांक 06.04.2020 को सुश्री दिव्या विश्नोई ने मौके पर आकर अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार कर एक शिकायत जिला रसद अधिकारी को दी है तथा जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.04.2020 को पुलिस थाना नागौर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई, जो प्रकरण धारा 409, 420 आईपीसी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदम वकू में प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रकरण को सही नहीं माना व सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसको साबित नहीं माना है। उक्त संबंध में उपर्युक्त पैरा संख्या–3(1) में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि उक्त आक्षेप जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.04.2020 से स्पष्ट साबित है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार SCM Login पर अपीलान्ट द्वारा 43 उपभोक्ताओं का राशन ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया है, जो ऑनलाईन ट्राजेक्शन की रिपोर्ट साबित है। अबेयेन्स सूची के उपभोक्ताओं को राशन वितरण की जॉच करने एवं उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने पर मात्र 6 उपभोक्ताओं द्वारा ही राशन मिलने की पुष्टि हुई, अन्य उपभोक्ताओं को राशन वितरण के बारे में पूछने पर अपीलान्ट को पूछने पर कोई भी रिकार्ड/जबाब नहीं दिया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है, इससे अपीलान्ट के विरूद्ध तृतीत आक्षेप पूर्णतया साबित है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 04.04.2020 के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पत्रांक– दिनांक 05.04.20 के द्वारा प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकगण को अपने अधिनस्थ क्षेत्र के सूची में दर्शाये गये जिन राशन डीलर द्वारा अबेयेन्स राशनकार्डों को राशन वितरित करना बताया गया है, उन में से रेण्डम आधार पर 30 प्रतिशत लाभार्थियों से सम्पर्क स्थापित कर यह जॉच करने के निर्देश दिये गये कि वास्तव में उनके द्वारा राशन लिया गया है या नहीं ? उक्त संबंध में सुश्री दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान का दिनांक 06.04.2020 को निरीक्षण कर रिपोर्ट मयं मौका फर्द, 6 उपभोक्ताओं के बयान, ऑनलाईन ट्रान्जेशन की सूची जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत। उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 42/2020 सरकार बनाम हरिकिशन उ.मू.दू. दर्ज कर

कलक्टर,नागौर

अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितओं के संबंध अपीलान्ट को निम्नानुसार आक्षेपों का कारण बताओ नोटिस कमांक–516 दिनांक 08.04.2020 जारी किया गया– 1. अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना नहीं पाया गया। 2. वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया। 3. अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नं0 17675 से अबेयेन्स श्रेणी के 43 राशनकार्डों का ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया। रेण्डमली सत्यापन करने पर पाया कि मात्र 7 उपभोक्ताओं को वास्तव में राशन मिला अन्य 36 उपभोक्ताओं (अबेयेन्स श्रेणी) को किये गये ऑनलाईन ट्राजेक्शन का कोई रिकार्ड एवं जानकारी अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट ने 36 उपभोक्ताओं को राशन वितरित नहीं कर खुर्द–बुर्द/गबन किया। विभागीय प्रकरण की विद्वान अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.05.20 के अनुसार अपीलान्ट से तामीलसुदा नोटिस प्राप्त हो गया परन्तु अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2021 को निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट श्री हरिकिशन को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त की जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

4(1)– आक्षेप संख्या–1. अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना नहीं पाया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में न तो जिला रसद अधिकारी नागौर के न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के खण्डन में किसी प्रकार का जबाब, साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत किये है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया गया है जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.04.2020 को पुलिस थाना नागौर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई जो प्रकरण धारा 409, 420 आईपीसी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदम वकू में प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रकरण को सही नहीं माना व सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसको साबित नहीं माना है। उक्त संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा पुलिस उप अधीक्षक वृत नागौर को दिनांक 30.12.2020 को प्रेषित किया गया है जिस पर एफआर 214/31.12.20 अदम वकु (तथ्य की भूल) अंकित किया हुआ है। न्यायालय में प्रस्तुत एफ.आर. की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा यह मान भी लिया जावे कि पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है अथवा नहीं इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि उक्त आक्षेप जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.04.2020 से स्पष्ट साबित है। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं पाया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर अंकित है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आक्षेप स्पष्ट रूप से साबित है।

4(2)–आक्षेप संख्या–2 वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा कथन किया गया है कि "यह सही है कि सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो जॉच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है, जो भूल से जॉच रिपोर्ट में अंकित होने से रह गया था।" इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) के उक्त कथन से ही स्पष्ट है कि अपीलान्ट पर दौराने जॉच ऐसा कोई आरोप ही नहीं रहा है, इसके अलावा जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई की जॉच रिपोर्ट में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त आरोप के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही उक्त आरोप को साबित माना है, जो कतई उचित नहीं है।

4(3)–आक्षेप संख्या–3 अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नं0 17675 से अबेयेन्स श्रेणी के 43 राशनकार्डों का ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया। रेण्डमली सत्यापन करने पर पाया कि मात्र 7

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

उपभोक्ताओं को वास्तव में राशन मिला अन्य 36 उपभोक्ताओं (अबेयेन्स श्रेणी) को किये गये ऑनलाईन ट्राजेक्शन का कोई रिकार्ड एवं जानकारी अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट ने 36उपभोक्ताओं को राशन वितरित नहीं कर खुर्द–बुर्द/गबन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में न तो जिला रसद अधिकारी नागौर के न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के खण्डन में किसी प्रकार का जबाब, एवं ठोस प्रमाणित साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत किये है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया है कि दिनांक 06.04.2020 को सुश्री दिव्या विश्नोई ने मौके पर आकर अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार कर एक शिकायत जिला रसद अधिकारी को दी है तथा जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.04.2020 को पुलिस थाना नागौर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई, जो प्रकरण धारा 409, 420 आईपीसी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में कि उक्त प्रकरण में सुश्री दिव्या विश्नोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदम वकू में प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रकरण को सही नहीं माना व सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उसको साबित नहीं माना है। उक्त संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा पुलिस उप अधीक्षक वृत नागौर को दिनांक 30.12.2020 को प्रेषित किया गया है जिस पर एफआर 214/31.12.20 अदम वकु (तथ्य की भूल) अंकित किया हुआ है। न्यायालय में प्रस्तुत एफ.आर. की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा यह मान भी लिया जावे कि पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है अथवा नहीं इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि उक्त आक्षेप जॉच अधिकारी सुश्री दिव्या विश्नाई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.04.2020 से स्पष्ट साबित है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार SCM Login पर अपीलान्ट द्वारा 43 उपभोक्ताओं का राशन ऑनलाईन ट्राजेक्शन किया गया है, जो ऑनलाईन ट्राजेक्शन की रिपोर्ट साबित है। अबेयेन्स सूची के उपभोक्ताओं को राशन वितरण की जॉच करने एवं उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने पर मात्र 6 उपभोक्ताओं द्वारा ही राशन मिलने की पुष्टि हुई, अन्य उपभोक्ताओं को राशन वितरण के बारे में पूछने पर अपीलान्ट कोई भी रिकार्ड/ जबाब नहीं दिया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है, इससे अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त तृतीत आक्षेप साबित है। इस प्रकार कारण बताओं नोटिस के जरिये अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये आक्षेप संख्या 1 व 3 साबित है एवं आक्षेप संख्या–2 "वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया।" अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से लगाये जाने के कारण आक्षेप संख्या–2 साबित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध लगाया गया आक्षेप संख्या–2 "वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया" साबित नहीं होने से, अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 08.01.2021, आक्षेप संख्या–2 "वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया" की हद तक अपास्त किया जाता है। परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध आक्षेप संख्या–1 व 3 साबित पाये जाने से अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 08.01.2021 आक्षेप संख्या–1 व 3 की हद तक यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर